संख्या-939/एक-10-2025

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
पी0ए0सी0 मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 08-12-2025

विषयः- प्रदेश के 75 जनपदों के 811 घाटों पर संचालित 4175 पंजीकृत नौकाओं हेतु एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उक्त 66077 लाइफ जैकेट पी0ए0सी0 के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- पीएसी-तीन/811-2024 दिनांक 08 अप्रैल, 2025, पत्र संख्या- पीएसी-तीन/811-2024/362 दिनांक 16 मई, 2025, पत्र संख्या- पीएसी-तीन/811-2024/452 दिनांक 26 मई, 2025, पत्र संख्या- पीएसी-तीन/811-2024/1380 दिनांक 26 अगस्त, 2025 एवं अन्य अनुस्मारक पत्र का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के 75 जनपदों को 811 घाटों पर संचालित 4175 पंजीकृत नौकाओं हेतु एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप 66077 लाइफ जैकेट क्रय किये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 07.10.2024 द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि रू0 13,21,54,000/- (रू0 तेरह करोड़ इक्कीस लाख चौवन हजार मात्र) का उपभोग वित्तीय वर्ष 2024-25 न हो पाने के कारण में सम्पूर्ण धनराशि के समर्पण की सूचना उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 (अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ0प्र0) के डीडीओ कोड संख्या-2495 (कोषागार-जवाहर भवन, लखनऊ) पर पुनः धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन के पत्र दिनांक 07.10.2024 द्वारा

रू0 13,21,54,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी, उक्त धनराशि का उपभोग न हो पाने के कारण पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 द्वारा उक्त सम्पूर्ण धनराशि समर्पित कर दी गयी।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से प्रदेश के 75 जनपदों के 811 घाटों पर संचालित 4175 पंजीकृत नौकाओं हेतु एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप 66077 लाइफ जैकेट क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 13,21,54,000/- (रू0 तेरह करोड़ इक्कीस लाख चौवन हजार मात्र) की स्वीकृति पुनः प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में आवंटित/स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि रू0 13,21,54,000/- में से चयनित फर्म को एल-1 धनराशि रू0 10,57,23,200/- का भुगतान किये जाने के उपरान्त शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबंध-</u>

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या- 33-02/2020- NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्ही निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 द्वारा उक्त 66077 लाइफ जैकेट के वितरण एवं क्रय हेतु प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी मानक संचलन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं उक्त प्रयोजन हेतु राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किये गये केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल Boat Safety & Management System में पंजीकृत नाव डेटा के आधार पर लाइफ जैकेट का वितरण जिलाधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) राज्य आज मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(4) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का

File No. 1-11099/27/2023-राजस्व अनुभाग-11-राजस्व विभाग (C
Generated from eOffice

उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(5) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईंधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जाय।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5- भाग1- के प्रस्तर 369--एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि के सम्बन्ध में समय-समय पर गृह मंत्रालय , भारत सरकार एवं एन0डी0एम0ए0 द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे, के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समययबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 13,21,54,000/- (रुपया तेरह करोड इक्कीस लाख चौवन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
KULDEEP SINGH
Date: 08-12-2025
13:07:17

(कुलदीप सिंह)

उप सचिव।

<u>संख्या:- 939(1)/एक-10-2025, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यवा कार्यवाही हेतु पेषितः

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

4- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।

6- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-16/12/2025

प्रेषण संख्या:- 939

आवंटन आदेश संख्या:- 001-939

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2495-डी0 आई0 जी0 - पीएसी मुख्या0-सेक्टर -जोन कार्या0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	132154000 132154000	132154000 132154000
	योग	वर्तमान प्रगामी	132154000 132154000	132154000 132154000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ इक्कीस लाख चौवन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ इक्कीस लाख चौवन हजार

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी